पत्रांक /   /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा01/15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: 21 सितम्बर 2015

विज्ञप्ति
(धारा 48(3) सपठित नियम 26 (ग)(3))

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 48(3) के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुक्रम में मुख्यालय के पत्रांक 4677/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/प्रवर्तन–अनु0/ 2012–13/ देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा धारा 48(1) में निर्दिष्ट माल को, कारबार के प्रयोजन के लिये, यदि पर्सनल लगैज के रूप में राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य में लाया जाता है तो, ऐसे माल को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पृष्ठांकन किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की रीति एवं अवधि नियत की गयी है।

मुख्यालय के पत्रांक 1391/आयु0क0 उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/ 2015–16/ देहरादून दिनांक 6 जून, 2015 द्वारा e-Form 16 जारी/ प्रयोग करने सम्बन्धी परिपत्र जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा व्यापारियों को आयात किये जाने हेतु दिये जाने वाले फार्म–16 के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने के क्रम में विभाग में पंजीकृत ऐसे व्यापारियों जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रू0 500 करोड़ से अधिक है, को बिना कार्यालय में आये फार्म–16 हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की सुविधा दी गयी है, जिसे मुख्यालय के पत्रांक 3109/आयु0क0 उत्तरा0/वाणि0क0/ विधि–अनुभाग/2015–16/देहरादून दिनांक 16 सितम्बर, 2015 द्वारा विस्तारित करते हुये विभाग में पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को, जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रू0 50 करोड़ से अधिक है, को भी यह सुविधा प्रदान किये जाने विषयक संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रू0 50 करोड़ से कम है, हेतु e-Form 16 प्रयोग करने की सुविधा कतिपय शर्तो तथा प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है।

e-Form 16 जारी/प्रयोग करने सम्बन्धी उपरोक्त परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पत्रांक 4677/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/प्रवर्तन–अनु0/ 2012–13/देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा धारा 48(1) में निर्दिष्ट माल को, कारबार के प्रयोजन के लिये, यदि पर्सनल लगैज (Personal Luggage) के रूप में राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य में लाया जाता है तो, ऐसे माल को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पृष्ठांकन किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की रीति एवं अवधि में यह संशोधन किया जाता है कि e-Form 16 प्रयोग करने वाले व्यापारियों द्वारा धारा 48(1) में निर्दिष्ट माल को, कारबार के प्रयोजन के लिये, यदि पर्सनल लगैज (Personal Luggage) के रूप में राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य में लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यौहारी द्वारा निर्धारित फार्म "Form-16 Declaration Sheet-Goods Imported as Personal Luggage" **(संलग्न)** में, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व ऐसे आयात की सूचना ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य होगा। e-Form 16 प्रयोग करने वाले ब्यौहारियों के लिये ऑनलाइन जेनरेटेड फार्म–16 की प्रति तथा फार्म "Form-16 Declaration

Sheet-Goods Imported as Personal Luggage" में आयात सम्बन्धी सूचना को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक/अनिवार्य नहीं होगा।

इस प्रकार परिपत्र संख्या 4677 दिनांक 06 फरवरी, 2013 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह विज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2310/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।

3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।

4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।

5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/ बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

9– **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यांलय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

11–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

12–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

13–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

14–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

15– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

16– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

17– The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

18– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

19– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

20–समस्त अनुभाग अधिकारी

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड

v.notif/15.16/19815/69

Form-16 Declaration Sheet-Goods Imported as Personal Luggage

01. TIN of the dealer:

02. Office Code of Sector/Range:

03. Name of the dealer:

04. Serial Number:

Sr. No.	Series of Form 16	Name of Seller	Address of Seller	State of the Seller	Invoice No.	Invoice Date	Amount (in Rs)	Quantity Weight (Invoice wise)	Goods Description	Entry Date in Uttarakhand
1										

Declaration

I....................................S/o......................am authorized to sign this declaration and I do hereby declare and verify that, the information and particular given in this sheet are true and complete and nothing has been wilfully omitted or wrongly stated.

Sign. of Auth. Signatory........................

Date;

Name of Auth. Signatory........................

Father's Name......................................

Status of Auth. Signatory........................